

प्रपत्र-3

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता में Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on Sahiya-Kakari to Mailoth and Shri Kyari to Mailoth (68.702 Km, 0.37279 hac.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु प्रस्ताव।
राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
जिला	देहरादून
वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.37279 हेक्टर वन भूमि
वन की कानूनी स्थिति	0.00 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि 0.37279 हेक्टर सिविल सोयम भूमि 0.00 हेक्टर बंजर 0.31423 हेक्टर नापभूमि
हरियाली का घनत्व	0.1
प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	--
वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल सिविल एवं सोयम वन के अन्तर्गत है।
क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबद्धि की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - पर चरखा है। <i>प्रस्तावित स्थल है</i>
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० 37 पर चरखा है। <i>पृष्ठ सं० 37</i>
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - पर चरखा है। <i>प्रमाण पत्र</i>

क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 हे० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० 51.1 पर चरपा है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 हे० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० 70 पर चरपा है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोग्राफी मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकेशन मानचित्र प्राक्कलन के साथ संलग्न है।
रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० 21,000 (रु० 21,000 मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० 51 पर चरपा है। हेतु रु० 1,21,000 = 57 (रु० 1,21,000 मात्र)
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है। रिक्त
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० 51 पर चरपा है।
उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	चकराता वन प्रभाग/जिला - देहरादून
विभाग/जिला प्रोफाइल	308800 वर्ग कि०मी० 80
जिले का भौगोलिक क्षेत्र	211691 वर्ग कि०मी० 80
जिले का वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 525 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 214547 हे० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 46787 हे० है।
नामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(क) 486.096 हे० है
1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	(ख) 768.59 हे० है
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-	(क) 5834.68 हे० जिले के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।
(ख) वनेतर भूमि पर:-	(ख) — हे० है
अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:-	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रज्जगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।
(क) वन भूमि पर	
(ख) वनेतर भूमि पर	
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	

दिनांक: 28-8-2019
स्थान: देहरादून

उप-प्रभारी वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
काठसी

हस्ताक्षर
नाम: (दीप चन्द्र झांगी)
सरकारी मुहर
उप वन संरक्षक
चकराता वन प्रभाग
चकराता